

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.09.2024*

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना मेहदावल पुलिस** द्वारा वारण्टी नाम पता गोलू मद्धेशिया पुत्र स्व० ओमप्रकाश निवासी हर्दी हट्टा थाना मेहदावल जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3301 द्वारा सड़क मार्ग में कार और बाईक द्वारा टक्कर होने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 3301 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत नई तहसील पास से इवेन्ट संख्या 38367 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में कार और बाईक द्वारा टक्कर होने के कारण 02 व्यक्तियों (1- दुष्यत पुत्र योगेन्द्र, 2-विकास यादव पुत्र रामप्रसाद निवासी भीटी हरदो जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को प्राइवेट वाहन की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ० अजीत यादव, हो०गा०चा० महेश्वर शुक्ला ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 65000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 65000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 09 परिवार के मध्य कराया गया सुलह समझौता

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे 'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल) का आयोजन में आज दिनांक **01.09.2024** को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक सुश्री सरोज शर्मा एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी के अध्यक्षता में **09** मामला आया। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1.प्रथम पक्ष – रम्भा यादव पुत्री रामसुरत यादव निवासी ग्राम लकडी मिश्रौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर। **द्वितीय पक्ष** – दुर्गेश कुमार पुत्र बैजनाथ यादव ग्राम शाहपुर बेलौली (घघसरा बाजार), थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2.प्रथम पक्ष – शर्मिला पत्नी अक्षय कुमार निवासी ग्राम सुरैना, थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष – अक्षय कुमार पुत्र रामपियारे निवासी ग्राम सुरैना, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

3.प्रथम पक्ष – कीर्ति पुत्री आद्या प्रसाद निवासी ग्राम रसूलाबाद, थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष – दुर्गेश कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम –पडियापार, थाना- दुधारा जनपद-संतकबीर नगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

4.प्रथम पक्ष – राखी पत्नी अरूण निवासी ग्राम शेरपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष – अरूण पुत्र चन्द्रवली निवासी ग्राम छीतही, थाना महुली जनपद संतकबीर नगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

5.प्रथम पक्ष – सलीना खातून पुत्री जहीरउल्लाह खान निवासी ग्राम काशीराम आवास, थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर। **द्वितीय पक्ष** – मो0 सलीम पुत्र नैमुल्लाह खान निवासी ग्राम –बरदहिया बाजार, थाना- कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

6.प्रथम पक्ष – भानमती पत्नी रामवृक्ष निवासी ग्राम उत्तर पट्टी मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष –रामवृक्ष पुत्र घूरहू निवासी ग्राम उत्तर पट्टी मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

7.प्रथम पक्ष – चाँदनी देवी पुत्री बुधई निवासी ग्राम बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष –जुगेश पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी ग्राम नहसापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

8.प्रथम पक्ष – रिता पत्नी रामहित निवासी ग्राम मुरडिया, थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष –रामहित पुत्र रामअचल निवासी ग्राम मुरडिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

9.प्रथम पक्ष –काजल मौर्या पुत्री शिवकुमार मौर्य निवासी ग्राम जिगिना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। **द्वितीय पक्ष** –सूर्य प्रकाश मौर्य पुत्र बलिकरन मौर्य निवासी ग्राम आराजी बनकट, थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।